कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 1199 /मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक,सितम्बर, 26 – 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सियरिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 11.7900 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–674 / 11–सी–एफ0पी0 / यू0पी0 / रोड / 119900 / 2021लखनऊ,दिनांक 24.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक–24.08.2022 द्वारा माँगी गयी वांछित सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद ने अपने कार्यालय के पत्र सं0–471 / सोनभद्र / 33 दिनांक 20.09.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की अनुपालन आख्या निर्धारित टेबुलर फार्म मे निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :–

क्र0सं0	आपत्ति / कमियां	अनुपालन आख्या
1	बिन्दु संख्या : 1–प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343 / 11–सी दिनांक–14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमान पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन मे पत्रांक–343 / 11–सी दिनांक–14.08.2020 के क्रम मे प्रतिहस्ताक्षरित की गयी है।
2	बिन्दु संख्या : 2 – प्रस्ताव में एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उल्लेख कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड़ करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के सम्बन्ध में भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 का उल्लेख करते हुए संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	बिन्दु संख्या : 3 – प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रतिहस्ताक्षरित युक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पेज संख्या–82 पर प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता संलग्न है।
4	बिन्दु संख्या : 4 – गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत्त कराया है कि प्रस्तावित स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
5	बिन्दु संख्या : 5 – प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 131 पर संलग्न वन्यजीव विहार / सेन्चुरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्य जीव विहार के अंदर नहीं आ रहा है का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावित स्थल इको सेन्सिटिव जोन के बाहर है अथवा नहीं? अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित प्रमाण	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 131 पर संलग्न वन्यजीव विहार / सेन्चुरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्य जीव विहार के अंदर नहीं आ रहा है का उल्लेख किया गया है, तथा प्रस्तावित स्थल इको सेन्सिटिव जोन के बाहर है के सम्बन्ध में संशोधित

	पत्र संलग्न करें।	प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
6	बिन्दु संख्या : 6 – प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, में संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दिया गया है।
7	बिन्दु संख्या : 7 – प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नही है।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
8	बिन्दु संख्या : 8 – ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वन भूमि के गाटा संख्या–45घ का क्षेत्रफल 2.13 हे0 दर्शाया गया है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गाटा संख्या–45घ में से केवल 1.979 हे0 ही गैर वन भूमि दी जा रही है। अतः उपरोक्तानुसार गाटा संख्या 45घ का सही क्षेत्रफल ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में अपलोड करें तथा 1.979 हे0 गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 एवं भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वन भूमि के गाटा संख्या–45घ का क्षेत्रफल 1.979 हे0 ही गैर वन भूमि दी जा रही है। गाटा संख्या 45घ का सही क्षेत्रफल 1.979 हे0 ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड कर दिया गया है तथा 1.979 हे0 गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 में यथा स्थान पर अपलोड कर दिया गया है।
9	बिन्दु संख्या : 9 – उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 1197 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र को उनके कार्यालय पत्रांक– पत्र सं0–471/सोनभद्र/33 दिनांक 20.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 26.09.22
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर